

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप सं०-6/खा० म० शेखपुरा-02/2017-

(6)/रा०, पटना-15, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

द्वारा :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-31.05.2017 के मद संख्या-07 में दी गई स्वीकृति के आलोक में शेखपुरा जिलान्तर्गत अंचल बरबीघा के मौजा-नारायणपुर, थाना सं०-62, खाता सं०-284, खेसरा सं०-750, रकबा-07 (सात) डिसमिल गैरमजरूआ मालिक परती कदीम भूमि पर विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डलीय नियंत्रण एवं उपभोक्ता सहायता केन्द्र की स्थापना हेतु 2,70,000/- (दो लाख रात्तर हजार) रू० प्रति डिसमिल की दर से 18,90,000/- (अठारह लाख नब्बे हजार) रू० सलामी एवं सलामी के पांच प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात् 23,62,500/- (तेईस लाख बासठ हजार पांच सौ) रू० पूंजीकृत मूल्य सहित कुल-42,52,500/- (बयालीस लाख बावन हजार पाँच सौ) रू० के भुगतान पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

- स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी।
- अन्य शर्तें खास महाल मैनुअल के प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत मान्य होंगे।
- इस बन्दोबस्ती से प्राप्त राशि बजट शीर्ष-0029 भू-राजस्व-101-भू राजस्व कर-0001-भूमि राजस्व-75-10 कर मद में जमा होगी जिसका विपत्र कोड-आर०-0029001010001 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(प्रवीण कुमार झा),
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञाप सं०-6/खा० म० शेखपुरा-02/2017-

(6)/रा०, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:-समाहर्ता, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मूल अभिलेख संख्या-01/2015-16 संलग्न कर लौटाया जा रहा है।

ह०/-
(प्रवीण कुमार झा),
सरकार के विशेष सचिव।

